



भारतीय संसद
राज्य सभा

प्रश्नों के संबंध में सांख्यिकीय सूचना

240वां
सत्र

18 जुलाई, 2016 से 12 अगस्त, 2016 तक



राज्य सभा सचिवालय
नई दिल्ली

इस प्रकाशन का अंग्रेजी संस्करण भी उपलब्ध है।



सत्यमेव जयते

भारतीय संसद
राज्य सभा

प्रश्नों के संबंध में
सांख्यिकीय सूचना

240वां
सत्र

18 जुलाई, 2016 से 12 अगस्त, 2016 तक



राज्य सभा सचिवालय
नई दिल्ली

वेबसाईट : <http://rajyasabha.nic.in>

ई-मेल : rsqns@sansad.nic.in

प्रस्तावना

इस पुस्तिका में राज्य सभा के दो सौ चालीसवें सत्र के दौरान प्राप्त हुई प्रश्नों की सूचनाओं और उनके निपटारे से संबंधित सांख्यिकीय सूचना दी गई है। इसमें ग्यारह विवरण हैं, जिनमें सत्र के दौरान निपटाए गए प्रश्नों से संबंधित आंकड़ों से संकलित की गई विभिन्न प्रकार की सूचना दी गई है। विवरण संख्या-X में कुछ आंकड़े दिए गए हैं जो एक नज़र में प्रश्नों से संबंधित कतिपय महत्वपूर्ण बातों को दर्शाते हैं।

नई दिल्ली:

3 अक्टूबर, 2016

11 आश्विन, 1938 (शक)

शमशेर के. शरीफ,

महासचिव।

विषय-सूची

पृष्ठ

I.	प्रत्येक समूह के अंतर्गत प्राप्त तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं को दर्शाने वाला विवरण.....	1
II.	प्रत्येक बैटक के लिए प्राप्त तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं को दर्शाने वाला विवरण.....	2
III.	तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं के निपटारे को दर्शाने वाला सार	3
IV.	प्रश्नों (तारांकित और अतारांकित) का सांख्यिकीय सार जिसमें प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के संबंध में प्राप्त हुई सूचनाओं की संख्या और उनके निपटारे को दर्शाया गया है	4-8
V.	उन विषयों को दर्शाने वाला विवरण जिनके संबंध में यथेष्ट संख्या में प्राप्त प्रश्नों के उत्तर दिए गए.....	9-11
VI.	तारांकित प्रश्नों के उत्तर में राज्य सभा के पटल पर रखे गए विवरण ..	12
VII.	अल्प-सूचना प्रश्नों के निपटारे को दर्शाने वाला सार.....	13
VIII.	प्रश्नों के उत्तरों से उत्पन्न लोक महत्व के विषयों पर आधे घंटे की चर्चा आरंभ करने के लिए प्राप्त हुई सूचनाओं के निपटारे को दर्शाने वाला विवरण	14
IX.	राज्य सभा में मंत्रियों द्वारा प्रश्नों के संबंध में पहले दिए जा चुके उत्तरों के संशोधनार्थ उनके द्वारा दिए गए वक्तव्यों/सभा पटल पर रखे गए विवरणों का सार	15
X.	राज्य सभा में पूछे गए प्रश्नों और उनके उत्तर के संबंध में कुछ रोचक तथ्य.....	16-18
XI.	राज्य सभा में प्रश्नों के समय को सुचारु रूप से चलाने के लिए की गई टिप्पणियों/दिए गए निदेशों/विनिर्णयों को दर्शाने वाला विवरण.....	19

विवरण-I

प्रत्येक समूह के अन्तर्गत प्राप्त तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं को दर्शाने वाला विवरण

समूह I

कोयला; पेयजल और स्वच्छता; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन; नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा; खान; पंचायती राज; योजना; विद्युत; सड़क परिवहन और राजमार्ग; ग्रामीण विकास; पोत परिवहन; जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण। 1368

समूह II

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष); नागर विमानन; कॉरपोरेट कार्य; रक्षा; वित्त; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण; अल्पसंख्यक कार्य; युवक कार्यक्रम और खेल। 1364

समूह III

वाणिज्य और उद्योग; संस्कृति; भारी उद्योग और लोक उद्यम; गृह; श्रम और रोजगार; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस; इस्पात; पर्यटन; जनजातीय कार्य। 1329

समूह IV

प्रधानमंत्री; परमाणु ऊर्जा; उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास; पृथ्वी विज्ञान; विदेश; आवास और शहरी गरीबी उपशमन; मानव संसाधन विकास; सूचना और प्रसारण; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन; विज्ञान और प्रौद्योगिकी; कौशल विकास और उद्यमिता; सामाजिक न्याय और अधिकारिता; अंतरिक्ष; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन; शहरी विकास; महिला एवं बाल विकास। 1369

समूह V

कृषि एवं किसान कल्याण; रसायन और उर्वरक; संचार; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण; इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी; खाद्य प्रसंस्करण उद्योग; विधि और न्याय; संसदीय कार्य; रेल; वस्त्र। 1415

योग:

6845

विवरण - II

प्रत्येक बैठक के लिए प्राप्त तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	बैठक की तारीख	प्राप्त तारांकित प्रश्नों की सूचनाएं	प्राप्त अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं	कुल प्राप्त सूचनाएं	हिन्दी में प्राप्त सूचनाएं
1	2	3	4	5	6
1.	18.07.2016	155	98	253	43
2.	19.07.2016	144	90	234	41
3.	20.07.2016	123	65	188	29
4.	21.07.2016	154	106	260	37
5.	22.07.2016	143	108	251	42
6.	25.07.2016	178	112	290	59
7.	26.07.2016	202	94	296	57
8.	27.07.2016	217	129	346	78
9.	28.07.2016	213	142	355	85
10.	29.07.2016	232	141	373	88
11.	01.08.2016	252	155	407	100
12.	02.08.2016	271	138	409	72
13.	03.08.2016	226	149	375	77
14.	04.08.2016	201	150	351	79
15.	05.08.2016	222	152	374	97
16.	08.08.2016	266	152	418	111
17.	09.08.2016	281	144	425	74
18.	10.08.2016	273	147	420	88
19.	11.08.2016	250	153	403	94
20.	12.08.2016	260	157	417	83
योग		4263	2582	6845	1434

विवरण-III

तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं के निपटारे को दर्शाने वाला सार

प्रश्नों की श्रेणी	प्राप्त सूचनाएं	एक से अधिक नामों से गृहीत	पृथक की गई सूचनाएं	अस्वीकृत	व्यपगत	लौटाई गई	वापस ली गई	रद्द की गई	
तारांकित	4263	300	-	26	586	1514	17	1	7
अतारांकित	2582	3101+	245++	12	257	776	-	-	3
योग:	6845	340	245	38	843	2290	17	1	10

ω

1

+ इसमें तारांकित प्रश्नों की 1654 सूचनाएं सम्मिलित हैं जिन्हें अतारांकित प्रश्नों के रूप में गृहीत किया गया।

++ इसमें तारांकित प्रश्नों की 158 ऐसी सूचनाएं सम्मिलित हैं जिन्हें अतारांकित प्रश्नों के रूप में एक से अधिक नामों से गृहीत किया गया।

विवरण-IV

प्रश्नों (तारांकित और अतारांकित) का सांख्यिकीय सार जिसमें प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के संबंध में प्राप्त हुई सूचनाओं की संख्या और उनके निपटारे को दर्शाया गया है

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े, प्रश्नों की हिन्दी में प्राप्त हुई सूचनाओं की संख्या को दर्शाते हैं)

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग का नाम	प्राप्त सूचनाएं	गृहीत		एक से अधिक नामों से गृहीत	पृथक-पृथक की गई सूचनाएं	अस्वीकृत	व्यपगत	लौटाई गई/वापस ली गई/रद्द की गई	मौखिक रूप से उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न	पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की संख्या
			तारांकित	अतारांकित							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	प्रधानमंत्री	11(4)	-	1(0)	-	-	3(3)	7(1)	-	1	1
2.	कृषि एवं किसान कल्याण	344(85)	12(4)	166(43)	20(2)	-	26(3)	120(33)	-	3	15
3.	परमाणु ऊर्जा	49(5)	1(1)	29(1)	-	-	11(3)	8(0)	-	-	-
4.	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष)	49(11)	2(0)	29(7)	3(2)	-	4(0)	11(2)	-	-	-
5.	रसायन और उर्वरक	92(22)	3(0)	34(8)	2(0)	2(0)	7(3)	43(11)	1(0)	2	10
6.	नागर विमानन	173(41)	9(2)	86(24)	9(0)	-	16(2)	51(13)	2(0)	6	28
7.	कोयला	85(23)	6(1)	42(8)	2(1)	-	12(6)	23(7)	-	3	10
8.	वाणिज्य और उद्योग	232(42)	14(2)	86(14)	6(1)	5(4)	24(0)	97(21)	-	2	10

G

9.	संचार	124(30)	4(0)	55(16)	4(1)	1(0)	12(1)	47(12)	1(0)	1	3
10.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	193(39)	11(2)	84(21)	14(0)	2(0)	9(1)	73(15)	-	-	-
11.	कारपोरेट कार्य	38(3)	2(0)	10(2)	1(0)	-	13(1)	12(0)	-	-	-
12.	संस्कृति	88(21)	2(1)	48(10)	1(0)	-	10(1)	27(9)	-	-	-
13.	रक्षा	171(35)	6(0)	77(20)	10(3)	-	27(2)	47(10)	4(0)	4	13
14.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास	14(1)	-	9(0)	-	-	-	5(1)	-	-	-
15.	पेयजल और स्वच्छता	113(28)	5(1)	46(11)	4(2)	4(0)	19(8)	35(6)	-	3	9
16.	पृथ्वी विज्ञान	31(2)	2(0)	17(2)	1(0)	-	-	11(0)	-	-	-
17.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी	58(6)	3(1)	18(3)	1(0)	-	8(0)	28(2)	-	-	-
18.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	256(57)	12(3)	111(22)	14(4)	-	41(7)	78(21)	-	4	12
19.	विदेश	182(29)	6(2)	91(14)	6(1)	1(0)	31(8)	47(4)	-	1	5
20.	वित्त	438(57)	20(5)	211(30)	9(1)	1(1)	44(6)	149(14)	4(0)	10	35
21.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	33(6)	-	11(3)	3(0)	-	1(0)	18(3)	-	-	-
22.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	390(82)	17(1)	160(37)	13(3)	1(0)	45(9)	147(32)	7(0)	5	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	भारी उद्योग और लोक उद्यम	40(7)	1(0)	23(5)	-	-	3(2)	13(0)	-	-	-
24.	गृह	405(86)	23(5)	171(34)	14(3)	5(1)	39(9)	153(34)	-	7	27
25.	आवास और शहरी गरीबी उपशमन	84(14)	3(0)	37(4)	3(0)	1(0)	17(4)	23(6)	-	1	1
26.	मानव संसाधन विकास	351(116)	16(3)	162(58)	7(2)	1(0)	62(18)	103(35)	-	6	30
27.	सूचना और प्रसारण	60(12)	4(1)	29(9)	-	-	7(1)	20(1)	-	-	-
28.	श्रम और रोजगार	171(37)	9(1)	84(15)	6(1)	-	10(5)	62(15)	-	-	-
29.	विधि और न्याय	160(29)	8(3)	55(11)	13(1)	-	25(3)	57(11)	2(0)	2	2
30.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	45(8)	1(0)	17(4)	3(0)	1(0)	1(1)	22(3)	-	-	-
31.	खान	18(6)	2(1)	6(3)	1(0)	-	-	9(2)	-	1	5
32.	अल्पसंख्यक कार्य	45(6)	0(0)	18(2)	0(0)	-	7(0)	18(4)	2(0)	-	-
33.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	86(9)	3(0)	32(3)	5(0)	-	7(0)	39(6)	-	1	5
34.	पंचायती राज	36(12)	1(1)	17(4)	1(0)	-	4(0)	13(7)	-	-	-
35.	संसदीय कार्य	6(1)	-	1(0)	-	-	2(0)	3(1)	-	-	-

९

36.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	74(6)	5(1)	31(3)	1(0)	-	14(0)	23(2)	-	1	-
37.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	138(26)	4(1)	68(17)	1(0)	-	20(1)	45(7)	-	-	-
38.	योजना	41(7)	2(0)	15(4)	3(1)	-	3(0)	18(2)	-	-	-
39.	विद्युत	165(34)	6(1)	80(19)	9(1)	-	29(4)	41(9)	-	3	11
40.	रेल	334(85)	18(4)	174(47)	14(1)	1(0)	21(4)	102(29)	4(0)	2	8
41.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	195(48)	7(3)	87(16)	8(1)	4(0)	31(6)	57(21)	1(1)	2	7
42.	ग्रामीण विकास	146(32)	3(1)	77(17)	10(3)	2(0)	25(2)	29(9)	-	2	10
43.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	33(7)	1(0)	13(5)	-	-	2(0)	17(2)	-	-	-
44.	पोत परिवहन	74(3)	4(0)	41(2)	4(0)	-	4(0)	21(1)	-	1	5
45.	कोशल विकास और उद्यमिता	74(12)	4(0)	35(8)	1(0)	1(0)	7(1)	26(3)	-	-	-
46.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	92(28)	5(1)	33(7)	2(0)	-	22(11)	30(9)	-	1	5
47.	अंतरिक्ष	13(1)	-	8(1)	-	-	3(0)	2(0)	-	-	-
48.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	23(2)	1(1)	7(1)	-	-	10(0)	5(0)	-	-	-
49.	इस्पात	29(8)	2(1)	14(3)	1(0)	-	1(1)	11(3)	-	1	5

8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.	वस्त्र	71(7)	1(0)	42(4)	4(0)	-	3(0)	21(3)	-	1	5
51.	पर्यटन	109(23)	2(2)	50(9)	2(0)	-	9(0)	46(12)	-	-	-
52.	जनजातीय कार्य	72(14)	2(1)	33(7)	-	1(1)	10(1)	26(4)	-	-	-
53.	शहरी विकास	148(35)	7(1)	68(17)	4(1)	2(0)	26(10)	41(6)	-	-	-
54.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण	153(54)	9(5)	64(20)	4(2)	-	27(12)	49(15)	-	2	10
55.	महिला एवं बाल विकास	130(21)	5(1)	59(9)	1(0)	-	26(7)	39(4)	-	1	5
56.	युवक कार्यक्रम और खेल	60(9)	4(1)	29(3)	0(0)	2(0)	3(1)	22(4)	-	4	21
योग		6845(1434)	300(66)	3101(667)	245(38)	38(7)	843(168)	2290(487)	28(1)	84	333

विवरण - V

उन विषयों को दर्शाने वाला विवरण जिनके संबंध में यथेष्ट संख्या में प्रश्नों के उत्तर दिए गए

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	विषय	गृहीत प्रश्नों की संख्या		पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की संख्या
			तारांकित	अतारांकित	
1	2	3	4	5	6
1.	कृषि एवं किसान कल्याण	कृषि उत्पादन	1	20	-
2.	परमाणु ऊर्जा	परमाणु ऊर्जा	2	19	-
3.	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष)	आयुष अस्पताल/अनुसंधान केन्द्र	-	12	-
4.	नागर विमानन	विमानपत्तनों का विकास/आधुनिकीकरण	3	18	15
5.	वाणिज्य और उद्योग	निर्यात/आयात एफडीआई	2 5	16 9	5 5
6.	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	मूल्य वृद्धि सार्वजनिक वितरण प्रणाली	4 1	20 12	- -
7.	पेयजल और स्वच्छता	पेयजल संबंधी मुद्दे	2	17	5

1	2	3	4	5	6
8.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	वन	1	21	-
9.	विदेश	चीन के साथ संबंध	2	15	-
10.	वित्त	बैंकों से ऋण	2	21	8
		बैंकों की अनर्जक आस्तियां	3	17	6
		काराधान संबंधी मामले	3	32	-
11.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	एम्स; एम्स जैसे संस्थान चिकित्सा महाविद्यालय आदि और उनका कार्यकरण	1	13	5
12.	गृह	आतंकवाद	3	24	1
13.	मानव संसाधन विकास	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	-	16	-
14.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	सौर ऊर्जा	1	17	-
15.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	इंधन मूल्य	2	16	-
16.	रेल	रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण/उन्नयन	-	18	-
		यात्री सुविधाएं	1	13	-
		रेल परियोजनाएं	5	29	-
17.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	राष्ट्रीय राजमार्ग	2	18	-

18.	ग्रामीण विकास	मनरेगा अधिनियम	2	26	5
		प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	1	12	5
19.	पोत-परिवहन	पत्तन	-	16	-
20.	पर्यटन	पर्यटन का संवर्धन	2	16	-
21.	शहरी विकास	मेट्रो रेल	-	20	-
22.	जल संसाधन, गंगा संरक्षण और नदी विकास	गंगा नदी	2	12	5
23.	युवक कार्यक्रम और खेल	खेलों का संवर्धन	2	11	5

विवरण-VI

तारांकित प्रश्नों के उत्तर में राज्य सभा के पटल पर रखे गए विवरण

तारांकित प्रश्नों के उत्तर में जिन 292 विवरणों को राज्य सभा के पटल पर रखा गया था, उनकी प्रतियां (अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में) राज्य सभा के सूचना कार्यालय और लॉबी को भेज दी गई थीं ताकि उन्हें 16 जुलाई, 1952 को सभा में सभापति द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में प्रश्नों का समय आरंभ होने से आधे घंटे पूर्व सदस्यों में वितरित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक विवरण की एक-एक प्रति संबंधित सदस्यों की सीटों पर भी रख दी गई थी। इन विवरणों की अतिरिक्त प्रतियां अन्य सदस्यों के प्रयोग के लिए लॉबी में काउन्टर पर रख दी गई थीं।

विवरण-VII

अल्प-सूचना प्रश्नों के निपटान को दर्शाने वाला सार

डायरी संख्या	विषय	सदस्य का नाम	मंत्रालय/ विभाग	निपटान	पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की संख्या
1.	परिष्कृत टेरिथेलिक एसिड पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना	श्री माजीद मेमन	वस्त्र	अस्वीकृत	-
2.	एलोपैथिक डॉक्टरों की अर्हता	श्री माजीद मेमन	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	अस्वीकृत	-
3.	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग संबंधी संयुक्त सेवा ज्ञापन	श्री राजीव चन्द्रशेखर	रक्षा	अस्वीकृत	-
4.	विद्युत बुनकरों को वित्तीय संकट से बचाने हेतु कदम	श्री माजीद मेमन	वस्त्र	अस्वीकृत	-
5.	गुमजल गांव, पंजाब में इंडियन ऑयल के स्थाई सीओसीओ का अवैध आवंटन	श्री शमशेर सिंह डुलो	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	अस्वीकृत	-
6.	धन विधेयक	श्री वेणुमबका विजयसाई रेड्डी	विधि और न्याय	अस्वीकृत	-

गृहीत-शून्य, अस्वीकृत-6, व्यपगत-शून्य

विवरण-VIII

प्रश्नों के उत्तरों से उत्पन्न लोक महत्व के विषयों पर **आधे घंटे की चर्चा** आरंभ करने के लिए प्राप्त हुई सूचनाओं के निपटारे को दर्शाने वाला विवरण

जारी संख्या	विषय	सदस्य का नाम	मंत्रालय/ विभाग	निपटान	चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश में गांवों का विद्युतीकरण प्रतिशत	श्री नरेश अग्रवाल	विद्युत	11.08.16 को चर्चा की गई	4
2.	100 प्रतिशत एफडीआई को अनुमति	श्री विशम्भर प्रसाद निषाद	वाणिज्य और उद्योग	अस्वीकृत	-
3.	नमामि गंगे कार्यक्रम का कार्यान्वयन	श्री के.टी.एस. तुलसी	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण	व्यपगत	-
4.	केन्द्रीय विद्यालय में विद्यालय विकास निधि का संग्रहण	श्री विशम्भर प्रसाद निषाद	मानव संसाधन विकास	अस्वीकृत	-
5.	नागरिकों के बीच नशा सेवन पर उच्च सर्वेक्षण	श्री प्रताप सिंह बाजवा	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	अस्वीकृत	-

चर्चा हुई: 1, अस्वीकृत: 3, व्यपगत : 1

विवरण-IX

राज्य सभा में मंत्रियों द्वारा पहले दिए जा चुके प्रश्नोत्तरों के संशोधनार्थ उनके द्वारा दिए गए वक्तव्यों/सभा पटल पर रखे गए विवरणों का सार

क्रम संख्या	दिनांक	जिनके द्वारा वक्तव्य दिया गया/विवरण रखा गया	प्रश्न संख्या जिसके संबंध में वक्तव्य दिया गया/विवरण रखा गया	प्रश्न के उत्तर की तारीख	प्रश्न का विषय
1.	29.07.2016	श्री सुदर्शन भगत, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री	अतारांकित प्रश्न सं. 1010	04.03.2016	निम्न कार्बन वाली कृषि तकनीकों को अपनाया जाना

विवरण-X

राज्य सभा में पूछे गए प्रश्नों और उनके दिए गए उत्तरों के संबंध में कुछ रोचक तथ्य

1.	उन बैठकों की संख्या जिनमें आरंभ में प्रश्नों का समय रखा गया था	20
2.	उन बैठकों की संख्या जिनमें प्रश्नों का समय नहीं था	1 (10.08.2016 को)
3.	उन बैठकों की संख्या जिन्हें बिना कोई कार्य संपन्न किए स्थगित कर दिया गया	शून्य
4.	उन बैठकों की संख्या जिनके दौरान प्रश्नों का समय तो रखा गया था परन्तु सभा में किसी भी प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से नहीं दिया गया	2 (11.08.2016 तथा 12.08.2016 को)
5.	निरस्त बैठकों की संख्या	शून्य
6.	प्रश्नों का समय रखे बिना बढ़ाई गई बैठकों की संख्या (विशेष बैठक)	शून्य
7.	हिन्दी में प्राप्त हुए प्रश्नों (तारांकित और अतारांकित) की संख्या	1434
8.	उन सदस्यों की संख्या जिनसे सूचनाएं प्राप्त हुईं	130
9.	तारांकित प्रश्नों के बैलेट में सर्वाधिक बार आने वाले किसी सदस्य का नाम	12 (श्रीमती अंबिका सोनी का)
10.	उन तारांकित प्रश्नों की संख्या जिनके मौखिक उत्तर दिये गये	84
11.	उन तारांकित प्रश्नों की संख्या जिन पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये	82
12.	पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की संख्या	333
13.	उन प्रश्नों की संख्या जिनके लिखित उत्तर राज्य सभा के पटल पर रखे गये	3101
14.	किसी एक सदस्य से प्राप्त हुई सर्वाधिक सूचनाएं	334 (डा. के.वी.पी. रामचंद्र राव से)
15.	किसी एक सदस्य के नाम गृहीत और दर्ज तारांकित और अंतारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या	64 (डा. के.वी.पी. रामचंद्र राव के नाम)
16.	किसी एक सदस्य के नाम गृहीत और दर्ज तारांकित और अंतारांकित प्रश्नों की न्यूनतम संख्या	1 (श्री संभाजी शाहू छत्रपती, श्री आर.के. सिन्हा और डा. विकास महात्मे के नाम)
17.	किसी एक सदस्य द्वारा उपस्थित किए गए अनुपूरक प्रश्नों की अधिकतम संख्या	10 (श्री देरेक ओब्राईन और डा. सत्यनारायण जटिया द्वारा)
18.	किसी एक सदस्य द्वारा किसी एक दिन पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की अधिकतम संख्या	3 (श्री देरेक ओब्राईन और डा. सत्यनारायण जटिया द्वारा)
19.	जिस दिन तारांकित प्रश्न सूची में 15 से कम प्रश्न थे	शून्य

20.	एक दिन की सूची में रखे गए अतारांकित प्रश्नों की न्यूनतम संख्या	114 (20.07.2016 को)
21.	उन प्रश्नों की सर्वाधिक संख्या जिन पर किसी एक दिन में अनुपूरक प्रश्न पूछे गए	8 (19.07.2016 तथा 09.08.2016 को)
22.	उन प्रश्नों की न्यूनतम संख्या जिन पर किसी एक दिन में अनुपूरक प्रश्न पूछे गए	1 (20.07.2016 को)
23.	सत्र आरंभ होने के बारे में संसदीय समाचार जारी होने के पश्चात् किसी एक दिन में प्राप्त हुई सूचनाओं की अधिकतम संख्या	907 (08.07.2016 को)
24.	किसी एक विषय पर जिन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिये गये उनकी सर्वाधिक संख्या	3 (समान नागरिक संहिता पर)
25.	किसी एक प्रश्न पर पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की अधिकतम संख्या	6 (तारांकित प्रश्न 94 पर)
26.	सदस्यों द्वारा किसी एक मंत्री के नाम संबोधित प्रश्नों की सूचनाओं की सर्वाधिक संख्या	438 (वित्त मंत्री को)
27.	किसी एक मंत्री के नाम संबोधित गृहीत प्रश्नों की सर्वाधिक संख्या	231 (वित्त मंत्री को)
28.	किसी एक मंत्री द्वारा मौखिक रूप से उत्तर दिए गए प्रश्नों की सर्वाधिक संख्या	10 (वित्त मंत्री द्वारा)
29.	किसी एक मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए अनुपूरक प्रश्नों की सर्वाधिक संख्या	35 (वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा)
30.	उन प्रश्नों की संख्या जिनका उत्तर प्रभारी मंत्री की जगह अन्य मंत्री ने दिया	शून्य
31.	प्रत्येक बैठक के लिए प्राप्त प्रश्नों की औसत संख्या	342.25
32.	प्रत्येक बैठक में मौखिक रूप से उत्तर दिए गए प्रश्नों की औसत संख्या	4.2
33.	प्रत्येक बैठक में मौखिक रूप से उत्तर दिए गए प्रश्नों की औसत संख्या (केवल उन बैठकों के लिए जब प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दिए गए थे)	4.94
34.	प्रत्येक बैठक में पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की औसत संख्या	16.65

35. जिन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए ऐसे प्रत्येक प्रश्न से संबंधित अनुपूरक प्रश्नों की औसत संख्या 3.96
36. मौखिक रूप से उत्तर दिए गए प्रत्येक प्रश्न पर लिया गया औसत समय 9.9 मिनट
37. प्रश्नों के समय से आधे घण्टे पूर्व राज्य सभा के सूचना कार्यालय और लॉबी को भेजे गए प्रश्नों के उत्तरों से संबंधित विवरणों की कुल संख्या 292
38. किसी एक दिन में प्रश्नों के संदर्भ में राज्य सभा के सूचना कार्यालय को भेजे गए विवरणों की सर्वाधिक संख्या 15 (18, 19, 20, 21, 26, 27, 28 और 29 जुलाई तथा 4, 9, 10, 11 और 12 अगस्त 2016 को)
39. सूचना कार्यालय और लॉबी को भेजे गए प्रश्न के संदर्भ में राज्य सभा के पटल पर रखा गया सबसे बड़ा विवरण 19 पृष्ठ (02.08.2016 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 172 के लिए)
40. राज्य सभा में प्रश्नों के उत्तरों के संशोधनार्थ सभा में मंत्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्यों/रखे गए विवरणों की कुल संख्या 1

विवरण - XI

राज्य सभा में प्रश्नों के समय को सुचारु रूप से चलाने के लिए की गई टिप्पणियों/दिए गए निदेशों/विनिर्णयों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	सभापति/ उपसभापति द्वारा की गई टिप्पणियां/दिए गए निदेश/विनिर्णय	तारीख	की गई टिप्पणियां/दिए गए निदेश/विनिर्णय
-------------	--	-------	--

शून्य
